पंचायत निगरानी संख्या : 459/2024
उनवान : लालाराम व अन्य बनाम सरपंच व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 459/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/591

प्रार्थी :–

1. लालाराम पुत्र पोकरलाल जाति मीणा निवासी कोसेलाव तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.
2. मुकेश पुत्र जोगाराम जाति गाड़ोलिया लौहार निवासी कोसेलाव, तह. सुमेरपुर
3. झालाराम पुत्र पोकरलाल जाति गाड़ोलिया लौहार निवासी कोसेलाव तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. सरपंच ग्राम पंचायत कोसेलाव तहसील सुमेरपुर
2. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कोसेलाव, तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत कोसेलाव के प्रस्ताव संख्या 02 व 03 दिनांक 20.09.2024 एवं निलामी इश्तिहार क्रमांक ग्रा.प. को/253 एवं 259 दिनांक 08.10.2024 को निरस्त कराने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता गणपतलाल चौधरी।
2. अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री अमृतलाल परिहार।

–:निर्णय:–

दिनांकः 28.10.2025

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत **ग्राम पंचायत कोसेलाव के प्रस्ताव संख्या 02 व 03 दिनांक 20.09.2024 एवं निलामी इश्तिहार क्रमांक ग्रा.प. को/253 एवं 259 दिनांक 08.10.2024 को निरस्त कराने बाबत्** पेश की गई निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

निगरानी याचिका के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा कोसेलाव, तहसील सुमेरपुर के खसरा नम्बर 1121 रकबा 0.6900 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1292 रकबा 2.27 हैक्टेयर किस्म गै.मु. आबादी भूमि में प्लोट काट कर बैचान करने का निर्णय अप्रार्थी ग्राम पंचायत द्वारा तारीख 20.09.2024 को प्रस्ताव संख्या 02 व 03 के जरिये लिया गया है। इस बाबत वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक जे.डी.जेड 1020/पाली ग्रामीण (00/2024) 10582697 दिनांक 19.09.2024 द्वारा अनुमोदन किया गया जिसमें स्पष्ट वर्णित है कि रास्तो हेतु सदर्भित

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 459/2024
उनवान : लालाराम व अन्य बनाम सरपंच व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

एवं आवश्यक भूमि को राजस्व विभाग स्तर से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज/समर्पित किये जाने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही अनुज्ञेय होगी। जिसकी पालना ग्राम पंचायत द्वारा आज दिन तक नहीं की गई है।

यह कि पंचायत स्थावर सम्पतियों एवं आबादी भूमि के विक्रय, नियमन, आवंटन आदि बाबत राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 में अध्याय 9 के नियम 140 से 168 में प्रावधान किये गये है जिस की अनुपालना में अप्रार्थीगण ने मौजा कोसेलाव के खसरा नम्बर 1121 व 1292 में प्लोट कांट कर बैचान करने का निर्णय लिया। जिसकी अनुपालना में नगर नियोजक जोधपुर से ले आउट प्लान स्वीकृत तारीख 19.09.2024 को हुआ जिसकी अनुपालना में प्रस्ताव संख्या 263 तारीख 20.09.2024 को लिया गया।

यह कि कानूनन ग्राम पंचायत अन्तिम रुप से यह तय करे कि उनके भूखण्डों की निलामी करनी है तब राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 148 की पालना करना आज्ञापक हैं। जिसके तहत जब भूखण्डों की निलामी की जानी है तो उन भूखण्डों बाबत एक नोटिस नियम 148 के उपनियम 2 में अभिकथित रिति से प्रारुप 22 (xx11) में एक नोटीस, प्रस्तावित विक्रय के सम्बन्ध में, इसके प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर भीतर आक्षेप आमन्त्रित करते हुए प्रकाशित करेगा। जब कि अप्रार्थीगण द्वारा नियम 148 (2) अनुसार निर्दिष्ट नोटीस दो प्रतियों में प्रस्तावित भूमि के सहजदृश्य स्थान पर नहीं लगाये गये।

यह कि नगर नियोजक जोधपुर द्वारा तारीख 19.09.2024 को ले आउट प्लान स्वीकृत होने के बाद तारीख 20.09.2024 को अप्रार्थीगण द्वारा ले आउट प्लान के अनुसार भूखण्डों की निलामी का प्रस्ताव लिया गया, लेकिन स्वीकृत प्लान की शर्तों के अनुसार रास्ता हेतु भूमि तारीख 18.10.2024 तक समर्पण नहीं किया गया। इस बाबत पटवारी हल्का कोसेलाव द्वारा सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति सुमेरपुर को उनके पत्र क्रमांक/पं.संसु./2024/4179 दिनांक 18.10.2024 की पालना में प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 18.10.2024 से पुष्टि होती है। अप्रार्थीगण द्वारा नगर नियोजक जोधपुर के ले आउट प्लान की शर्तों की पालना में रास्ते हेतु भूमि सरेण्डर नहीं करने के पहले ही अपने कार्यालय के पत्रांक/ग्रा.प.को./2024/253 व 259 दिनांक 08.10.2024 के निलामी इश्तिहार जारी करने की विज्ञप्ति अखबार पत्रिका में जारी कर दी एवं भूखण्डो की निलामी तारीख 21.10.2024 से 28.10.2024 तक की जाना प्रस्तावित कर दिया, जो राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 148 के आज्ञापक नियमों के विरुद्ध होने से ऐसे समितावी की प्रक्रिया पूर्णत अवैध व शून्य है।

यह कि कानूनन नियम 148 के तहत आपत्तियों का नोटीस एक माह तक के लिए जारी करने के बाद आपत्तियां आने पर उनका निराकरण नियम 149 के अनुसार करने के बाद ही भूखण्डो की निलामी कार्यवाही नियम 150 की तहत किये जाने का प्रावधान है, लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा इन नियमों की पालना नही कर, अपने लोगो को भूखण्ड देने की नियत से तमाम कार्यवाही की जा रही है वह कानूनन अवैध व शून्य हैं।

यह कि अप्रार्थीगण को भूखण्डों की निलामी के पूर्व काननून राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 151 के तहत निलामी समिति का गठन किया जाना था जिस निलामी समिति में सरपंच, उपसरपंच, सर्तकता समिति का अध्यक्ष, महिला/अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडे वर्ग का एक पंच मनोनित करना व इस बाबत भू राजस्व निरीक्षक या पटवारी हल्का को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जाकर कार्यवाही करनी थी लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा इन नियमों की पालना नही कर भूखण्ड निलामी की कार्यवाही सम्पन्न की जा रही है जो कानूनन गलत है, पटवारी हल्का कोसेलाव द्वारा तारीख 18.10.2024 को सहायक विकास अधिकारी सुमेरपुर को भेजी गयी रिपोर्ट से भी इस बात की पुष्टि होती है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 459/2024
उनवान : लालाराम व अन्य बनाम सरपंच व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994

खसरा नम्बर 1121 व 1292 मे ले आउट बना कर भूखण्डो की निलामी करवाई जा रही है वह कानून के विरुद्ध होने से अवैध व शून्य है, जिस निलामी कार्यवाही को खारिज किया जाना कानूनन आवश्यक व न्यायसंगत हैं।

यह कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा जारी सरकुलर अनुसार विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु के आवासहीन व्यक्तियों को भूखण्ड आवंटन करने बाबत निर्देश जारी किये गये है लेकिन बावजुद इसके प्रार्थीगण को घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है तथा आवासीय विहिन व्यक्ति होने के बाद भी इनको अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त स्थल में से कोई भूखण्ड आवंटन करने हेतु आरक्षित नही रखे गये है, जिस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत कोसेलाव (अप्रार्थीगण) के विरुद्ध नियम विरुद्ध किये जा रहे भूखण्डो की निलामी के प्रस्ताव संख्या 02 व 03 दिनांक 20.09.2024 को खारिज व निरस्त करने हेतु एवं अप्रार्थीगण के निलामी इश्तिहार दिनांक 08.10.2024 को अवैध, शून्य व निरस्त करवाने हेतु उक्त निगरानी पेश करने की आवश्यकता महसुस हुई है। अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत कोसेलाव का प्रस्ताव संख्या 02 व 03 दिनांक 20.09.2024 एवं इसकी अनुपालना में जारी निलामी इश्तिहार क्रमांक ग्रा.प. को./2024/253 व 259 दिनांक 08.10.2024 को निरस्त किया जावे।

निगरानी दर्ज कर अप्रार्थीगण को ज़रिए सम्मन तलब किया गया। प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से अधिवक्ता हाजिर। प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का निश्चय किया जाता है।

काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने वक़्त बहस निगरानी याचिका में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा आलोच्य प्रस्ताव दिनांक 20.09.2024 एवं निलामी इश्तिहार दिनांक 08.10.2024 को अपास्त करने का निवेदन किया।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने बहस के दौरान निवेदन किया कि ज़ैर निगरानी आलोच्य प्रस्ताव तथा निलामी इश्तिहार द्वारा प्रस्तावित भूखण्डों का निलामी कार्यक्रम तत्समय ही स्थगित किया जा चुका था तथा तत्पश्चात् नये सिरे से निलामी कार्यक्रम प्रस्तावित कर प्रश्नगत भूखण्डो का विक्रय किया जा चुका है। चूंकि Cause Of Action ही समाप्त हो चुका है, अतः हस्तगत निगरानी याचिका खारिज फरमावें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस ध्यानपूर्वक सुनी जाकर तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया।

सम्पूर्ण दस्तावेजों के अवलोकन एवं विश्लेषण के उपरान्त विचाराधीन प्रकरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दु उल्लेखनिय हैः–

1. निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत आक्षेप अनुसार प्रस्तावित भूखण्ड निलामी के Lay Out प्लान का वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा इस पूर्व शर्त के साथ अनुमोदन किया गया था कि सड़क व रास्तों हेतु सन्दर्भित व आवश्यक भूमि राजस्व विभाग में दर्ज व समर्पित किये जाने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही अनुज्ञेय होगी, जैसा कि पत्रावली में उपलब्ध वरिष्ठ नगर नियोजक के पत्र दिनांक 19.09.2024 के बिन्दु संख्या (ब) में स्पष्ट रुप से अंकित है, किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पूर्वशर्त की पालना किये बिना ही अगले दिन अर्थात 20.09.2024 को ज़रिए प्रस्ताव संख्या दो एवं तीन के निलामी की स्वीकृति जारी कर दी गई। इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड के अवलोकन से यह ज़ाहिर होता है कि आलोच्य निलामी इश्तिहार दिनांक 08.10.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 459/2024
उनवान : लालाराम व अन्य बनाम सरपंच व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

2024 के द्वारा निलामी हेतु जिन तिथियों का निर्धारण किया गया था, उससे पूर्व ही अप्रार्थी संख्या एक, सरपंच ग्राम पंचायत कोसेलाव द्वारा तहसीलदार सुमेरपुर को समर्पणनामा दिनांक 17.10.2024 प्रस्तुत कर दिया गया, जिसपर तदन्तर तहसीलदार द्वारा प्रश्नगत भूमि आबादी क्षेत्र में होने से समर्पणनामा स्वीकार करने में असमर्थता ज़ाहिर की गई। अर्थात ग्राम पंचायत कोसेलाव के विरुद्ध प्रार्थीपक्ष का यह आक्षेप स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उनके द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा समर्पण सम्बन्धि पूर्वशर्त की पालना नहीं की गई।

2. सम्पूर्ण रिकॉर्ड के अवलोकन से यह तथ्य भी संज्ञान में आता है कि ज़रिए प्रस्ताव संख्या 02 एवं 03 दिनांक 20.09.2024 के निलामी सम्बन्धि निर्णय लेने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 148 एवं नियम 151 की पूर्वापेक्षा की पालना नहीं की गई।

3. यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत कोसेलाव द्वारा खसरा संख्या 1121 एवं 1292 में आबादी भूमि का ज़रिए निलामी विक्रय करने का संकल्प संख्या 02 एवं 03 दिनांक 20.09.2024 द्वारा लिया गया निर्णय एवं आलोच्य निलामी इश्तिहार दिनांक 08.10.2024 द्वारा प्रस्तावित निलामी कार्यक्रम स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा ही स्थगित कर दिया गया। खसरा संख्या 1121 के सम्बन्ध में ज़रिए आदेश क्रमांक/277 दिनांक 19.10.2024 एवं खसरा संख्या 1292 के सम्बन्ध में ज़रिए आदेश क्रमांक/281 दिनांक 23.10.2024 के द्वारा प्रस्तावित निलामी कार्यक्रम को स्थगित करते हुए ग्राम पंचायत कोसेलाव द्वारा पंचायत बैठक दिनांक 05.11.2024 में प्रस्ताव संख्या 04 के द्वारा पुनः नए सिरे से निलामी करने का निर्णय लिया गया एवं दिनांक 20.11.2024 को संशोधित निलामी इश्तिहार जारी किया गया। इस प्रकार, निगरानीकर्ता द्वारा जिस प्रस्ताव संख्या 02 एवं 03 दिनांक 20.09.2024 एवं निलामी इश्तिहार दिनांक 08.10.2024 को चुनौति दी गई है, उक्त प्रस्ताव एवं निलामी कार्यक्रम स्वतः ही निष्प्रभावी (Infractuous) हो चुके है, चूंकि ग्राम पंचायत द्वारा संशोधित निलामी कार्यक्रम जारी करने का निर्णय लेकर भूखण्डों का विक्रय भी किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष का तर्क स्वीकार योग्य है कि ज़ैर निगरानी आलोच्य संकल्प एवं निलामी इश्तिहार स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाने एवं Cause of Action समाप्त हो जाने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है।

अतः हस्तगत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 खारिज की जाती है

निर्णय आज दिनांक **28.10.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ पंचायत का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली पाली

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner